<u>प्रेस नोट जनपद खीरी</u>

<u>दिनाँक 08.11.2021</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयीः-

<u>हत्या की घटना का सफल अनावरण, 04 हत्याभियुक्त गिरफ्तार; आलाकत्ल बांका, मचवा एवं मृतक का मोबाइल, मोटरसाइकिल व रक्त रंजित कपड़े बरामद</u>

पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री विजय ढुल के निर्देशन में थाना गोला पुलिस एवं क्राइम ब्रान्च की संयुक्त टीम द्वारा ग्राम काजरकोरी निवासी संदीप कुमार वर्मा की गुमशुदगी एवं हत्या की घटना का सफल अनावरण करके घटना में संलिप्त 04 अभियुक्तों रामकुमार, पवन कुमार, रूचित कुमार एवं प्यारेलाल को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही आलाकत्ल बांका, मचवा एवं मृतक का मोबाइल, मोटरसाइकिल व रक्त रंजित कपड़े भी बरामद किए गए हैं।

दिनांक 02.11.21 को थाना गोला पर संदीप वर्मा उपरोक्त की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज की गई जिसमें उनके परिवारीजन द्वारा बताया गया कि दिनांक 01.11.21 को संदीप कस्बा गोला से अपने पैतृक गांव काजरकोरी गये थे और वहां से वापस नहीं लौटे हैं। विवेचना के क्रम में प्रकरण में धारा 364 की वृद्धि की गई और परिवारीजन द्वारा उपरोक्त 04 व्यक्तियों पर उनके पुत्र संदीप वर्मा की हत्या का शक जाहिर किया गया। प्रकरण में पतारसी-सुरागरसी, मोबाइल सर्विलांस, सीसीटीवी फुटेज व ह्युमन इंटेलिजेन्स के सहयोग से दिनांक 07.11.21 को मृतक संदीप वर्मा का शव ग्राम जड़ौरा के पास गन्ने के खेत से बरामद किया गया जिसके बाद मृतक संदीप वर्मा के पिता के तहरीर के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 302/201 भादवि की बढ़ोतरी करके चारों अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

1.रामकुमार पुत्र श्रीकृष्ण वर्मा निवासी जड़ौरा थाना हैदराबाद जनपद खीरी।
2.पवन कुमार पुत्र प्यारेलाल निवासी काजरकोरी थाना हैदराबाद जनपद खीरी।
3.रूचित कुमार पुत्र प्यारेलाल निवासी काजरकोरी थाना हैदराबाद जनपद खीरी।
4.प्यारेलाल पुत्र जगन्नाथ निवासी काजरीकोरी थाना हैदराबाद जनपद खीरी

पुलिस टीम का विवरणः-

प्र0नि0 अरविन्द कुमार पाण्डेय,थाना गोला
उ0नि0 कृष्ण कुमार यादव, थाना गोला
उ0नि0 शैलेश यादव, थाना गोला
उ0नि0 अरूण कुमार, थाना गोला
उ0नि0 शिवकुमार यादव, क्राइम ब्रान्च
हे0का मोहम्मद आरिफ, थाना गोला
का0 ऋतुराज, थाना गोला
का0 सूर्य प्रताप राघव, थाना गोला
का0 चन्द्रमोहन त्यागी, थाना गोला
का0 श्रीओम मिश्रा, क्राइम ब्रान्च
का0 तुषार कुमार, क्राइम ब्रान्च
का0 सिकंदर चैधरी, क्राइम ब्रान्च
का0 देवेन्द्र सिंह यादव,

<u>**वांछित/ वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी**</u>

जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा वांछित/ वारंटी अभियुक्तों के विरुद्ध वृहद स्तर पर कार्यवाही करते हुए 10 नफर वांछित अभियुक्त व 52 नफर वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री विजय ढुल के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत जनपद खीरी पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु कार्यवाही निरंतर की जा रही है।

अभियान के अंतर्गत जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा वांछित/वारंटी अभियुक्तों के विरुद्ध वृहद स्तर पर कार्यवाही करते हुए विगत 24 घंटो में कुल 10 नफर वांछित अभियुक्त व 52 नफर वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

<u>यातायात माह, नवम्बर 2021 के अंतर्गत की गई कार्यवाही</u>

माह नवम्बर में "यातायात जागरूकता अभियान" चलाया जा रहा है। अभियान के तहत चालकों को जागरूकता पम्पलेट देकर उन्हें नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस दौरान यातायात पुलिस द्वारा जनता को जागरूक करते हुए बताया जा रहा है कि आये दिन सड़क हादसे होते हैं जिसमें लोगों की जान चली जाती है इसका सबसे प्रमुख कारण यातायात नियमों की जानकारी न होना या जानकारी होने के बाद भी उसका पालन न करना है। दुर्घटना से बचने के लिए यातायात नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करें। वाहन चलाते समय हेलमेट, सीटबेल्ट का उपयोग अवश्य करें, भीड़ वाले क्षेत्र में वाहन को निर्धारित गति में चलायें, नशे की हालत में व मोबाइल फोन पर बात करते हुए वाहन चलाने से बचें, स्टण्ट बाइकिंग से बचें, काली फिल्म, हूटर, प्रेशर हार्न का प्रयोग न करें, गलत दिशा में न चलें। इसी तरह यातायात नियमों का पालन करने से सड़क दुर्घटनाएं कम होंगी तथा लोग सुरक्षित रहेंगे। जागरूकता अभियान के तहत राजापुर टैक्सी स्टैण्ड, रोडवेज बस स्टैण्ड, मेला मैदान टैक्सी स्टैण्ड व अन्य स्थानों पर गोष्ठी/पम्पलेट वितरण कर यातायात नियमों के बारे में बताया गया। नियमों की अनदेखी करने वालों के विरुद्ध जनपद के विभिन्न कुल 56 स्थानों पर चेकिंग करायी गयी जिसमें 217 वाहनों का चालान अन्तर्गत मोटर वाहन अधिनियम के तहत किया गया है। अबतक यातायात माह के दौरान जनपद में कुल 1101 वाहनों का चालान किया जा चुका है।

थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा, अवैध तमंचा कारतूस बरामद करके अभियुक्त सादिक खाॅ को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 08.11.21 को थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिंदा कारतूस बरामद करके अभियुक्त सादिक खां पुत्र वासिद खां निवासी धुरहा मजरा रसूलपुर थाना मोहम्मदी जनपद खीरी को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा गया।

थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा, चोरी की घटना का सफल अनावरण करके 02 अभियुक्तों (पति-पत्नी) को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारंटियों/संदिग्ध अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 08.11.21 को थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 593/21 धारा 379/411 भादवि से संबंधित मिठाई की दुकान से चोरी करने के आरोपित 02 अभियुक्तों(पती-पत्नी)को गिरफ्तार करके मा0 न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्तो का विवरणः-

1.आशीष गुर्जर पुत्र इन्दर

2. मोनिका पत्नी आशीष गुर्जर निवासीगण पिपलका थाना दनकौर जनपद गौतमबुद्धनगर हात पता मो0 भीतर मोहम्मदी कस्बा व थाना मोहम्मदी जनपद खीरी

बरामदगीः-

5,500 रूपए नगद

01 अदद मोबाइल फोन

थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा, लूट की घटना में वांछित/फरार अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित/वारंटी/संदिग्ध अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 08.11.21 को थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा, मु0अ0सं0 530/21 धारा 392 भादवि में वांछित एवं फरार चल रहे अभियुक्त रामकुमार पुत्र प्रहलाद को गिरफ्तार करके मा0 न्यायालय भेजा गया। मुकदमा उपरोक्त से संबंधित 02 अभियुक्तों को पूर्व में दिनांक 02.10़.2021 को मय लूटे गये ई-रिक्शा व मोबाइल सहित गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

रामकुमार पुत्र प्रहलाद निवासी ग्राम बद्दापुर थाना महोली जनपद सीतापुर

पुलिस टीमः-

उ0नि0 विजय प्रताप सिंह
हे0का0 मनोज कुमार
का0 प्रमोद कुमार
का0 मनीष कुमार

थाना तिकोनिया पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआं खेलते हुए 03 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध क्रिया-कलापों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना तिकोनिया पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआं खेलते हुए 03 नफर अभियुक्त 1. सुनील कुमार पुत्र भगवती प्रसाद निवासी बनवीरपुर थाना तिकोनिया जनपद खीरी व 02 अन्य नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 52 अदद ताश के पत्तें व 1,050 रुपये नगद बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना तिकोनिया पर मु0अ0सं0 237/21 धारा 13 जुआं अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना मितौली पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआं खेलते हुए 05 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध क्रिया-कलापों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना मितौली पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआं खेलते हुए 05 नफर अभियुक्त 1. लालाराम पुत्र बाबू व 04 अन्य नफर अभियुक्तगण सर्व निवासीगण मूसेपुर थाना मितौली जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 52 अदद ताश के पत्तें व 1,270 रुपये नगद बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना मितौली पर मु0अ0सं0 333/21 धारा 13 जुआं अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 144 लीटर अवैध शराब सहित 09 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री विजय ढुल के निर्देशन में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटों में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **144 लीटर अवैध कच्ची, 03 शराब भट्टी बरामद कर 09 अभियुक्त** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **09 अभियोग** पंजीकृत किया गया।

क्र0सं0	थाना	बरामदगी	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या
1.	थाना सिंगाही	40 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
2.	थाना मितौली	35 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
3.	थाना मैगलगंज	20 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
4.	थाना भीरा	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
5.	थाना ईसानगर	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
6.	थाना फरधान	09 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
	कुल योग	144 लीटर	09 अभियुक्त गिरफ्तार